150

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

Phone No.: (0294) 2415091-95 Fax : (0294) 2413116 Email : fa.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– निदे/प.13/ग्रुप–3बी/डीपी 5/2019–20/2152 दिनांकः– 26.11.2020

समस्त अधीनस्थ कार्यालय,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान।

विषय– अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राजस्व/शुल्क/मांगपत्रों, आदेशों एवं निर्णयों में महालेखाकार कार्यालय के आक्षेपों का संदर्भ नहीं दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

यह ध्यान में लाया गया है कि महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों के आधार पर विभाग द्वारा जारी किये जा रहे मांग पत्रों, आदेशों एवं निर्णयों आदि में कार्यालय महालेखाकार के ऑडिट आक्षेपों का संदर्भ दिया जाता है, जिससे न्यायालय में किसी पक्षकार के पहुंचने पर महालेखाकार को एक पक्ष बनाने की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है, जबकि महालेखाकार कार्यालय का किसी भी पक्षकार से प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं होता।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा का कार्य संवैधानिक दायित्वों के अधीन संबंधित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है । महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में कार्यप्रकिया की त्रुटि, नियमों की अवहेलना आदि के कारण आक्षेप गठित किया जाता है, इन आक्षेपों का परीक्षण कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और यदि विभाग महालेखाकार की आपत्ति से सहमत हैं तो, वसूली आदि के लिए जारी किये जाने वाले मांग पत्र में महालेखाकार के आक्षेपों को संदर्भित करते हुए मांग पत्र, आदेश, निर्णय, इत्यादि जारी करने के स्थान पर संबंधित त्रुटि, नियम/उपनियम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

उक्त आदेश को वित्त विभाग अंकेक्षण अनुभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्रों क्रमशः दिनांक 20.08.2007 एवं 01.12.2017 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है।

भवदीय,

(डॉ. के. बी. पण्ड्या)I.A.S
निदेशक

क्रमांक :– निदे/प.13/ग्रुप–3बी/ डीपी 5 /2019–20/ 2155 दिनांकः– 26.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपमहालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 13(19)खान/ग्रुप–2/2020 दिनांक 12.11.2020 के कम में।
3. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, डीएमजीओएमएस को विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार